

न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क्र.-35 / 2012
 संस्थित दिनांक-23.01.2012
 फाईलिंग क्र-2345030001822012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस चौकी डोरा,
 आरक्षी केन्द्र-रूपझर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

महिपाल पिता तुलसीराम, उम्र-38 वर्ष,
 निवासी-रेंज ऑफिस चौक, उकवा,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक- 17/04/2017 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 427 भा.द.वि. के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-17.01.2012 को दिन में 12:00 बजे, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम अमवाही के 1 किलोमीटर आगे डोरा से परसवाड़ा मेन रोड़ पर, लोकमार्ग में वाहन ट्रक क्रमांक-एम.पी.-50/एच-0733 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत ऋषिराम को सिर में टक्कर मारकर उपहति कारित की, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर राजेश कुमार पांचे को नुकसान कारित करने के आशय से वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.-51/ए-1713 को टक्कर मारकर 4,00,000/- (चार लाख रुपये) की रिष्टी कारित की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ऋषिराम ने दिनांक-17.01.2012 को पुलिस चौकी डोरा, अंतर्गत थाना रूपझर आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई की वह ग्राम भीड़ी रहता है तथा खेती किसानी का कार्य करता है। दिनांक-17.01.2012 को दिन के 12:00 बजे वह अपने धान के

बोरे राकेश पांचे के ट्रैक्टर में लोड कर भीड़ी से डोरा सोसाईटी ला रहा था। उक्त ट्रैक्टर का ड्राइवर अपने साईड से ट्रैक्टर को चला रहा था। जब ट्रैक्टर ग्राम अमवाही से 1 किलोमीटर आगे पहुंचा तभी डोरा की तरफ से एक ट्रक क्रमांक-एम.पी.-50/एच-0733 का चालक ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाते हुए आया और ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे वे छिंटकर जमीन पर गिर गया और उसे सिर के पीछे चोट लगी थी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस चौकी डोरा में अपराध क्रमांक-0/2012, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मोटरयान अधिनियम पंजीबद्ध किया गया, जिसे असल कायमी हेतु थाना रूपझर भेजा गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-427 का ईजाफा किया गया, तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 427 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1- क्या आरोपी ने दिनांक-17.01.2012 को दिन में 12:00 बजे, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम अमवाही के 01 किलोमीटर आगे डोरा से परसवाड़ा मेन रोड़ पर, लोकमार्ग में वाहन ट्रक क्रमांक-एम.पी.-50/एच-0733 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत ऋषिराम को सिर में

टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

3- क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर राजेश कुमार पांचे को नुकसान कारित करने के आशय से वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम. पी-51/ए-1713 को टक्कर मारकर 4,00,000/- (चार लाख रुपये) की रिष्टी कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1,2 एवं 3 का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी ऋषिराम अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने के लगभग एक वर्ष पूर्व की है। वह ग्राम भीड़ी से राजेश पांचे के ट्रेक्टर में धान के बोरे भरकर डोरा सोसाईटी ले जा रहा था और ट्रेक्टर चालक के पास बैठा था। जैसे ही उनका ट्रेक्टर वासी तालाब के पास से जा रहा था, तभी डोरा की तरफ से एक ट्रक आया जिसके साईड न देने पर ट्रेक्टर के चालक ने ट्रेक्टर को रोड के साईड में खड़ा कर दिया, तभी ट्रक चालक ने ट्रेक्टर को टक्कर मार दी, जिससे वह छिंटकर जमीन पर गिर गया। गिरने से उसे सिर के पीछे, पसली में व शरीर के अन्य भाग में चोट लगी थी। उसने घटना के संबंध में चौकी डोरा में प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था, जिसका नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 है, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था, वह देख नहीं पाया था। उक्त दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह ट्रेक्टर में पीछे बैठा था। जिसके कारण उसे सामने की सड़क दिखायी नहीं दे रही थी। वह ट्रक के संबंध में नहीं बता सकता कि ट्रक कैसे आ रहा था। उन्होंने ट्रेक्टर खड़ा कर दिया था। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में ट्रेक्टर के खड़े होने के संबंध में कोई लेख नहीं है।

6— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी टीकाराम अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी व आहत को जानता है। घटना वर्ष 2012 की सुबह लगभग 7:00 बजे की है। वह ट्रैक्टर में धान लेकर ग्राम भीड़ी से ग्राम डोरा जा रहा था और ट्रैक्टर वह स्वयं चला रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर ग्राम दलवाड़ा के आगे पहुंचा, तभी सामने से एक ट्रक तेज गति से आया और ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ट्रैक्टर में बैठा एक लेबर गिर गया था और उसके साईड में बैठे ऋषिराम को चोट आई थी। टक्कर लगने से ट्रैक्टर के सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। दुर्घटना के समय ट्रक आरोपी चला रहा था, जिसने उसकी साईड में आकर टक्कर मारी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान डोरा चौकी में लिये थे। उक्त दुर्घटना में उसे चोटें नहीं आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के समय वह लोग पचास-साठ बोरे धान भरकर ट्रैक्टर में ला रहे थे। उक्त धान बघोली सोसायटी खरीदी करती है परंतु बघोली सोसायटी न ले जाते हुए उक्त धान को डोरा सोसायटी ले जा रहा था। घटना दिनांक को ट्रैक्टर में भरा धान कोई देख न ले इसलिए वह लोग तेजी से डोरा जा रहे थे। उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में साईड से चलने के दौरान ट्रक द्वारा तेज गति से आकर ट्रैक्टर को टक्कर मारने के कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर में भरा धान कोई देख न ले इसलिए वह लोग तेजी से डोरा जा रहे थे।

7— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी गीतेश्वर अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी महिपाल को नहीं पहचानता। वह ऋषिराम को जानता है। घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व जनवरी माह की है। वह अपनी मोटरसाइकिल से डोरा सोसायटी जा रहा था, तब उसने देखा था कि ट्रैक्टर और ट्रक का तालाब के पास एक्सीडेंट हो गया था। आहत ऋषिराम रोड पर गिरा हुआ था और उसे चोट लगी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने घटना के समय वाहन चालक को नहीं देखा था। उक्त साक्षी घटना के पश्चात का है जिससे केवल घटना के समय ट्रैक्टर व ट्रक के एक्सीडेंट होने की पुष्टि होती है।

8— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी राजेश अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने के लगभग एक-डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसने ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-51/ए.ए-1713 में उसके भाई टीकराम को ट्रॉल में धान लोड कर डोरा सोसाईटी भेजा था। टीकराम के साथ ऋषिराम भी ट्रेक्टर में गया था। एक घंटे पश्चात् टीकराम ने उसे बताया कि टक से एक्सीडेंट हो गया है और दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई है। उसने घटनास्थल पर जाकर देखा तो ट्रेक्टर का सामने का भाग क्षतिग्रस्त हो गया था और जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था वह रोड के नीचे उतर गया था। उसे ट्रेक्टर का नंबर याद नहीं है। उक्त ट्रक को आरोपी चला रहा था। दुर्घटना में ट्रेक्टर को लगभग एक लाख रुपये की क्षति हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। ऋषिराम को दुर्घटना में सिर में चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वह घटनास्थल पर नहीं था इसलिए नहीं बता सकता कि दुर्घटना कैसे घटित हुई और किसकी गलती से हुई। साक्षी की साक्ष्य से केवल ट्रेक्टर में नुकसानी होने के कथन की पुष्टि होती है।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सीय साक्षी साक्षी डॉ.ए.के. गौर अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-17.01.2013 को डॉ. आर.के. नकरा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आहत ऋषिराम पिता तुलाराम पटले, उम्र-57 वर्ष, निवासी-ग्राम भीड़ी का परीक्षण किया गया था। परीक्षण रिपोर्ट डॉ. आर.के. नकरा की हस्तलिपि में लेख है, जिनकी लिखावट व हस्ताक्षर को वह जानता है। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर डॉ. आर.के. नकरा के हस्ताक्षर हैं। मुलाहिजा दस्तावेजों में परीक्षणकर्ता डॉक्टर की जांच एवं अभिमत के बारे में वह नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी हस्तलिपि उसे समझ में नहीं आती। इस प्रकार साक्षी की साक्ष्य से घटना के समय आहत ऋषिराम को चोट होने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। उक्त साक्षी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि डॉ. नकरा द्वारा उक्त आहत का परीक्षण कर अथवा बिना परीक्षण के ही परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 बनाई थी। वर्तमान में डॉ. नकरा की मृत्यु हो चुकी है।

10— अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सीय साक्षी डॉ. डी.के. राउत अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-19.01.2012 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था। दिनांक-18.01.2012 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन द्वारा आहत श्रीराम पिता तुलाराम, उम्र-57 वर्ष, निवासी 7 ग्राम भीड़ी थाना परसवाड़ा की खोपड़ी एवं सीने का एक्सरे लिया गया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-249 था, जो आट्रिकल ए-1 एवं आट्रिकल ए-2 है। आहत को डॉक्टर लकरा द्वारा एक्सरे हेतु रेफर किया गया था, जिसे आरक्षक कन्हैया टेम्भरे क्रमांक-1088 द्वारा लाया गया था। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसकी खोपड़ी एवं सीने की हड्डी में कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार उक्त साक्ष्य से आहत ऋषिराम को घटना के समय कोई गंभीर उपहति नहीं होना दर्शित है।

11— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी राजा अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से टाटा कंपनी का ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0733 मय कागजातों के जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी महिपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

12— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी प्रमोद राउत अ.सा.9 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और न ही किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी महिपाल से टाटा कंपनी का ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0733 मय कागजातों के जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, परंतु उसके सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी

अस्वीकार किया कि उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी महिपाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक के सी से सी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए वह न्यायालय के समक्ष झूठे कथन कर रहा है।

13— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रसूल जिलानी अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि उसे लगभग 20 वर्षों से बसें व अन्य वाहन चलाने का अनुभव है। दिनांक-19.01.2012 को उसके द्वारा ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0733 का परीक्षण किया गया था। परीक्षण करने पर उसने वाहन के दाएं तरफ का बम्पर पिचका हुआ पाया था, बाकी पार्ट्स ठीक थे। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिसवालों के कहने पर प्र.पी.07 के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे तथा उसके द्वारा मैकेनिकल परीक्षण संबंधी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस प्रकार वाहन परीक्षण के संबंध में उक्त साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं है।

14— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डी. मोंगरे अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-17.01.2012 को पुलिस चौकी डोरा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी ऋषिराम की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक-0/12, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मो.व्ही.एक्ट के तहत ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0733 के चालक के विरुद्ध लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-17.01.2012 को ऋषिराम की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने अपने नाम एवं पद का उल्लेख किया था, वह हस्ताक्षर करना त्रुटिवश भूल गया था। उक्त दिनांक को ही उसने ऋषिराम को मुलाहिजा हेतु परसवाड़ा अस्पताल भेजा था। उसने प्रार्थी ऋषिराम, साक्षी राजेश, टीकाराम,

गितेश्वर उर्फ गितेश, जितेन्द्र के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसने आरोपी महिपाल से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0733 मय दस्तावेजों के जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने प्रदर्श पी-4 अनुसार साक्षियों के समक्ष आरोपी महिपाल को गिरफ्तार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। दिनांक-20.01.2012 को राजेश से साक्षियों के समक्ष एक ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-51/ए.ए-1713 क्षतिग्रस्त हालत में प्रदर्श पी-2 अनुसार मय दस्तावेजों के जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे।

15- पी.डी. मोंगरे अ.सा.4 का कथन है कि ट्रेक्टर को हुई नुकसानी बाबत नुकसानी पंचनामा प्रदर्श डी-1 पंचो के समक्ष तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे, जिसमें लगभग 4 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान बताया गया था। जप्तशुदा ट्रक का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर चालान के साथ संलग्न किया गया। जप्तशुदा ट्रक क्षतिग्रस्त होने तथा घटनास्थल से लाने की स्थिति में न होने से प्रदर्श पी-5 के हिफाजतनामे अनुसार राजेश कुमार पांचे को हिफाजतनामे पर दिया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। ट्रेक्टर को हुई नुकसानी के कारण उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध धारा-427 भा.द.वि. बढ़ाई गई थी। यद्यपि जप्ती तथा गिरफ्तारी साक्षी प्रमोद राउत अ.सा.09 ने जप्ती पत्र प्र.पी.09 तथा गिरफ्तारी पत्र प्र.पी.04 की कार्यवाही से इंकार किया है। तथापि विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है जिस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है।

16- प्रकरण में आयी साक्ष्य से आहत ऋषिराम की चोटों की पुष्टि नहीं होती। यद्यपि स्वयं आहत ऋषिराम अ.सा.02 तथा टीकाराम अ.सा.05 द्वारा ऋषिराम को चोट आने के कथन किये हैं। तथापि चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में आहत को किसी प्रकार की उपहति होना सिद्ध नहीं होता। आहत ऋषिराम अ.सा. 02 द्वारा खण्डे ट्रेक्टर में ट्रक द्वारा दुर्घटना करने के कथन किये हैं जबकि टीकाराम अ.सा.05 द्वारा ट्रेक्टर के साईड में चलने के दौरान दुर्घटना होने के

कथन किये हैं। ऋषिराम अ.सा.02 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पीछे बैठे होने के कारण उसे सामने की सड़क दिखाई नहीं दे रही थी और वह नहीं बता सकता कि ट्रक कैसे आ रहा था जबकि टीकाराम अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि धान लोगों की नजरों से बचाने के लिए वह लोग तेजी से डोरा जा रहे थे। इस प्रकार उक्त विरोधाभासी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती। क्योंकि स्वयं ट्रेक्टर वाहन चालक द्वारा तेज गति में होने के कथन किये हैं। जहां तक धारा 427 भा.दं.सं. के अपराध का प्रश्न है उक्त संबंध में अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि हानि कारित करने की आपराधिक मन स्थिति का अभाव है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत— पवन कुमार शर्मा विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य 1996 सी.आर.एल.जे. 369(इलाहाबाद) अवलोकनीय है।

17. उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत ऋषिराम को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की अथवा नुकसान करने के आशय से वाहन ट्रेक्टर को टक्कर मारकर शक्ति कारित की।

18— अतः अभियुक्त महिपाल पिता तुलसीराम को भा.दं.सं.0 की धारा 279, 337 एवं 427 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

19— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

20— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं.

की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

21- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति ट्रक क्रमांक-एम.पी-50/एच-0733 सुपुर्ददार जितेन्द्र बोमचे पिता रामभरोस बोमचे, निवासी-ग्राम उकवा वार्ड नंबर-8, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट को तथा ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-51/ ए.ए- 1713 एवं ट्रॉली क्रमांक-एम.पी-51/ए.ए-1714 सुपुर्ददार राजेश पिता सिम्मतलाल पांचे, निवासी ग्राम भीड़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किये गये है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददारों के पक्ष में निरस्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट